

बिहार सरकार

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

पत्रांक—पि०व०/02/ब० एवं आ०—17—06/2022 — 75 पटना, दिनांक—03/7/2022

प्रेषक,

अनिल कुमार ठाकुर,
सरकार के अपर सचिव

सेवा में,

अवर सचिव—सह—निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग,
बिहार, पटना।

विषय:— वित्तीय वर्ष 2026—27 में विभागान्तर्गत संचालित अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रावास एवं जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास में सुरक्षा एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराये गये सुरक्षा गार्ड के भुगतान हेतु रु० 1,40,82,000 /— (रु० एक करोड़ चालीस लाख बेरासी हजार) मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2026—27 में विभागान्तर्गत संचालित अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रावास एवं जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास में सुरक्षा एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराये गये सुरक्षा गार्ड के भुगतान हेतु चार माह (अप्रैल से जुलाई तक) के लिए रु० 1,40,82,000 /— (रु० एक करोड़ चालीस लाख बेरासी हजार) मात्र आवंटित की जाती है।

2—उक्त संपूर्ण आवंटित राशि वित्तीय वर्ष 2026—27 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत बजट शीर्ष माँग संख्या—11 मुख्य शीर्ष 2225—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण उपमुख्य शीर्ष 03— पिछड़े वर्गों का कल्याण, लघु शीर्ष 277—शिक्षा, उप शीर्ष 0002—छात्रावासों का संधारण, विषय शीर्ष 28.02— संविदा सेवाएं, विपत्र कोड संख्या—11-2225—03—277—0002 के अंतर्गत विकलनीय होगा।

3—इस राशि के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव—सह—निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना होंगे। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी राशि की निकासी किये जाने के पश्चात इसे बही अंतरण (Book Transfer) के माध्यम से बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, सोन भवन, पटना के पी०एल० खाता संख्या—PTSPLA007 में Ledger Name- OPERATION & MAINTENANCE OF SCHOOLS & HOSTELS तथा Ledger id-23393 में CFMS के माध्यम से उपलब्ध करायेंगे। इसका संव्यवहार (Transaction) नियमानुसार प्रबन्ध निदेशक, बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, सोन भवन, पटना द्वारा किया जायेगा। राशि के व्यय की पूर्ण जिम्मेवारी बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, सोन भवन, पटना की होगी। राशि का विचलन किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाएगा।

4— राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग के द्वारा निर्गत परिपत्र संख्या—2561 दिनांक—17.04.1998 तथा समय—समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य परिपत्रों एवं विभागीय परिपत्रों में निहित निदेशों/प्रावधान के आलोक में करेंगे।

5—प्रस्ताव में अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

6—प्रस्ताव एवं प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

7— राशी संबंधित पदाधिकारियों को इस राशि के आवंटन की सूचना दी जा रही है।

8—कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय।

विश्वासभाजन

(अनिल कुमार ठाकुर),
सरकार के अपर सचिव।

P.T.O

ज्ञापक— पि०व०/02/ब० एवं आ०-17-06/2022 - 75

पटना, दिनांक—03/7/2026

प्रतिलिपि:—(1) महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) माननीया मंत्री के आप्त सचिव, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

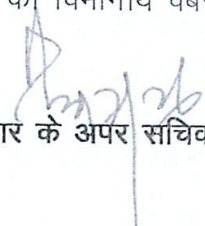
(3) निदेशक, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(4) कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/विभागीय लेखा शाखा (दो प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(5) प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, सोन भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(6) सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त/सभी प्रमण्डलीय उप निदेशक, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण/सभी जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी/सभी अनुमंडल पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(7) आई०टी०मैनेजर, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


सरकार के अपर सचिव।